

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 10(6)ग्रावि/नरेगा/जेटीए/2010 पार्ट-1/60744

जयपुर, दिनांक 16 SEP 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर नियोजित कनिष्ठ तकनीकी सहायकों
के कार्यक्षेत्र परिवर्तन के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्र दिनांक 18.09.2009 एवं 28.02.2011

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्रों के द्वारा (प्रति संलग्न) निर्देश दिये गये थे कि संविदा पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक के साथ जिला स्तर से जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक से अनुमोदन के उपरान्त अनुबन्ध पत्र पर अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं संविदा कार्मिक के हस्ताक्षर होंगे, जिससे कि इन कनिष्ठ तकनीकी संविदा कार्मिकों की सेवाएं संविदा अवधि में ही कार्य उपलब्धता अनुसार जिले की किसी भी पंचायत समिति में आवश्यकतानुसार ली जा सके।

राज्य स्तर पर समीक्षा के दौरान यह जानकारी में आया है कि संविदा पर नियोजित कनिष्ठ तकनीकी सहायकों का कार्यक्षेत्र लम्बी अवधि से परिवर्तित नहीं किया गया है।

अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि संविदा पर नियोजित कनिष्ठ तकनीकी सहायकों का समय-समय पर आवश्यकता अनुसार कार्यक्षेत्र परिवर्तित किया जावे एवं जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक तीन वर्ष से अधिक अवधि से समान कार्यक्षेत्र में कार्यरत हैं के कार्यक्षेत्र में तत्काल प्रभाव से परिवर्तन कर इस विभाग को अवगत करावें।

भवदीय

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
4. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर एवं बाडमेर।
7. श्री रिकु छीपा को ई-मेल वास्ते।
8. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ईजीएस

225

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक 4(19) आरडी/एनआरईजीएस/नरेगा/पी.ओ./2009-10

जयपुर, दिनांक:- 10/11/09

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये गये हैं:-

1. वर्तमान में संविदा पर कार्यरत कार्यक्रम अधिकारियों का संविदा अनुबंध संविदा अवधि समाप्त होने के उपरांत आगे नहीं बढ़ाया जायेगा। पंचायत समिति में कार्यरत विकास अधिकारी ही अब योजनान्तर्गत कार्यक्रम अधिकारी होगा।
2. संविदा पर रखे जाने वाले कनिष्ठ तकनीकी सहायक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा रहेगी। यदि उक्त योग्यतानुसार कार्मिक उपलब्ध नहीं हो तो कृषि इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा, उसके उपरांत मैकेनिकल इंजिनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा एवं अंत में इलैक्ट्रीकल इंजिनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा अभ्यर्थियों को प्राथमिकतानुसार अनुबंध पर नियोजित किया जा सकता है। कनिष्ठ तकनीकी सहायक हेतु अन्य किसी योग्यताधारी को नहीं रखा जावे एवं अन्यथा योग्यताधारी कार्मिकों का संविदा अनुबंध समाप्त होने पर आगे नहीं बढ़ाया जावेगा।
3. संविदा पर रखे जाने वाले कनिष्ठ तकनीकी सहायक के साथ जिला स्तर से ही अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक अनुबंध करेंगे, उसमें कनिष्ठ तकनीकी सहायक को पंचायत समिति विशेष हेतु अनुबंधित करने के स्थान पर जिले की किसी भी पंचायत समिति में कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जायेगा। ताकि जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक इनसे आवश्यकतानुसार जिले की किसी भी पंचायत समिति में काम ले सकें।

4. लेखा सहायक हेतु न्यूनतम योग्यता बी.कॉम./ सी.ए. (इन्टर)/ आई.सी.डब्ल्यू.ए. (इन्टर)/ सी.एस. (इन्टर) रहेगी।
5. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक मय एक वर्ष का ओ. लेवल का कम्प्यूटर डिप्लोमा होगा, यदि प्रार्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से पी.जी.डी.सी. ए है तो उसे प्राथमिकता दी जावेगी।
6. जन ग्राम पंचायतों में पहले से ही किसी भी योजना में कम्प्यूटर उपलब्ध हैं, उन पंचायतों में केवल डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ही संविदा पर रखे जावें। शेष पंचायतों में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर मय मशीन रखें जावे।
7. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक केवल जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक के प्रति उत्तरदायी होगा एवं पंचायती राज के समस्त कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में जिला कार्यक्रम समन्वयक की संस्तुति अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यवाही करेंगे।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।


भवदीय,

(5/2/16) 9

(राजेन्द्र भाणावत)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजि सचिव, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजि सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
5. रक्षित पत्रावली।


परियोजना निदेशक, ईजीएस

④

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक:एफ.10(7)ग्रावि/नरेगा/संविदा/10-11
जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
समस्त (राजस्थान)

जयपुर, दिनांक

28 FEB 2011

विषय:- दिनांक 28.02.2011 के पश्चात् महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत संविदा पर नियोजित कार्मिकों के लिए संविदा अनुबन्ध प्रपत्र का प्रारूप भिजवाने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का आदेश क्र. एफ-2(23)ग्रावि/नरेगा/2008 दिनांक 3.8.09,समसंख्यक परिपत्र दिनांक 02.02.2011 एवं पत्र दिनांक 23.2.11

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक आदेश/परिपत्र के अधिकरण में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नियोजित किये जा रहे संविदा कार्मिकों के संबंध में निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. आपको विदित ही है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यरत कार्मिकों पर किया जाने वाला समस्त व्यय योजनान्तर्गत श्रम एवं सामग्री पर किये गये कुल व्यय की अधिकतम 6 प्रतिशत सीमा में ही अनुमत हैं एवं यह व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों से शासित होता है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश क्रमांक 28012/3/05-06/नरेगा दिनांक 30.03.2007 द्वारा यह उल्लेखित किया गया है कि नरेगा योजनान्तर्गत कोई भी स्थाई पद सृजित नहीं किया जा सकता है और ऐसा करने पर भारत सरकार द्वारा कोई उत्तरदायित्व वहन नहीं किया जायेगा। इस प्रकार योजना के संचालन हेतु कार्मिकों का नियोजन संविदा/प्लेसमेंट एजेन्सी/आउट सोर्स के द्वारा ही किया जा सकता है।
2. नरेगा योजना पूर्णतया मांग आधारित योजना है। अतः योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय को भारत सरकार द्वारा अनुमत 6 प्रतिशत सीमा में एवं विभागीय पत्र एफ. 21(23)ग्रावि/नरेगा/2010 दिनांक 30.06.2010 में दिये गये निर्देशों अनुसार जिलों द्वारा 5 प्रतिशत सीमा में रखे जाने हेतु संविदा कार्मिकों का नियोजन किया जाये।
2. महात्मा गांधी नरेगा योजना में संविदा कार्मिकों के संबंध में संविदा अनुबन्ध का पूर्व में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 09.01.2007 के साथ संलग्न मानक प्रारूप में लागू किया गया था तत्पश्चात् वित्त विभाग के अनुमोदन उपरान्त समसंख्यक पत्र दिनांक 19.02.2010 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 16.03.2010 को सम्मिलित करते हुये आंशिक संशोधन कर नवीन संविदा अनुबन्ध तैयार कर जिलों को भिजवाया गया था। इस संविदा के अनुबन्ध के प्रारूप के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर एस. बी सिविल रिट पिटीशन संख्या 6188/2009 हुकम सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एवं इस निर्णय/आदेश के साथ संलग्न अनुसूची में अंकित 28 रिट पिटीशनों में पारित निर्णय दिनांक 15.07.2010 के पैरा 7 एवं 9 में राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि संविदा अनुबन्ध समाप्ति दिनांक 28.02.2011 से पहले ही, पूर्व

संविदा अनुबन्ध दिनांक 09.01.2007 एवं 19.02.2010 के प्रावधानों की समीक्षा करें एवं आवश्यक समझे तो 28.02.2011 के बाद किये जाने वाले अनुबन्ध का नया प्रारूप तैयार करें। इसी प्रकार के निर्देश माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने एसबी सिविल रिट पिटिशन न. 8237/09 में पारित आदेश दिनांक 25.08.2010 में पंचायत समिति मण्डोर जिला जोधपुर, पंचायत समिति मावली जिला उदयपुर के रोजगार सहायकों के संबंध में भी दिये हैं। संविदा अनुबन्ध की समीक्षा कर विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 02.02.2011 के साथ संलग्न अनुबन्ध के अधिकमण में दिनांक 09.01.2007 को जारी अनुबन्ध के प्रारूप एवं वित्त विभाग की आई.डी क्रमांक: 101100638 दिनांक 26.02.2011 से प्राप्त राय अनुसार अनुबन्ध का नवीन प्रारूप संलग्न प्रेषित है। नवीन संविदा अनुबन्ध के क्रम में निम्नानुसार दिशा निर्देश दिये जाते हैं:-

- (अ) रोजगार सहायक का संविदा अनुबन्ध विकास एवं कार्यक्रम अधिकारी के साथ हस्ताक्षरित किया जावे। कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक के साथ किये जाने वाले संविदा अनुबन्ध पर जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस के अनुमोदन उपरान्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं संविदा कार्मिक के हस्ताक्षर होंगे जिससे कि इन संविदा कार्मिकों की सेवाएं संविदा अवधि में ही कार्य उपलब्धता अनुसार जिले की किसी भी पंचायत अथवा पंचायत समिति में आवश्यकता अनुसार ली जा सके।
 - (ब) जिस अनुबंध पत्र के आधार पर वर्तमान में संविदा कार्मिक कार्यरत हैं तथा जिनका कार्य संतोषजनक है एवं जिसकी अवधि दिनांक 28.2.2011 को समाप्त हो रही है, उसी अनुबंध पत्र के अंत में अनुलग्नक-‘क’ को संलग्न करते हुए इसमें निर्धारित इंगित स्थानों पर आवश्यक प्रविष्टि कर निर्धारित स्थान पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर करवाये जावे।
 - (स) नव चयनित कार्मिकों से प्रथम बार संविदा नियोजन किये जाने की स्थिति में अनुबंध, अनुबंध प्रारूप-अनुलग्नक-‘ख’ में निष्पादित किया जावे एवं कालांतर में संविदा पदों का नवीनीकरण उक्त बिन्दु संख्या-ब अनुसार किया जावे।
 - (द) जिन संविदा कार्मिकों के साथ लगातार 5 वर्ष तक संविदा अनुबंध किये जाने की अवधि पूर्ण हो गई है, उनके साथ वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 9.1.2007 के अनुबंध के बिन्दु संख्या-1(ii) अनुसार एवं अनुबंध प्रारूप अनुलग्नक-‘ख’ के बिन्दु संख्या-1(ii) अनुसार पुनः संविदा नियोजन किये जाने पर अनुबंध, अनुबंध प्रारूप-अनुलग्नक-‘ख’ में निष्पादित किया जावे।
4. उक्तानुसार संविदा अनुबन्ध निष्पादित किये जाने वाले संविदाकर्मियों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के अब तक के निर्देशों के मददे नजर निम्न स्पष्टीकरण भी दिये जाते हैं :-
- (i) ऐसे ग्राम रोजगार सहायक जिनके साथ प्रथम बार संविदा अनुबंध निष्पादित किये जाने के एक वर्ष पश्चात उन्होंने लगातार दूसरे वर्ष भी अपनी संविदा सेवाएं दी है एवं उनके विरुद्ध उनकी संविदा सेवा असंतोषजनक होने के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, तो उनको द्वितीय वर्ष में संविदा सेवा प्रारंभ करने के प्रथम महिने से ही पूर्व वर्ष के लिए नियत की गई मासिक संविदा अनुबंध राशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक संविदा वृद्धि राशि यदि अभी तक नहीं दी गई है तो इस अंतर राशि का भुगतान दिनांक 30 अप्रैल, 2011 से पूर्व किया जाना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार से आगामी वित्तीय वर्षों के लिए भी कार्रवाई की जावे, परंतु इस प्रकार से भुगतान

कार्रवाई किये जाते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि दिनांक 1.4.2010 को संविदा अनुबंधित किसी रोजगार सहायक को रूपये 3500/- मासिक संविदा अनुबंध राशि के आधार पर अंतर राशि की गणना कर उपरोक्तानुसार भुगतान किया जावे।

- (ii) ऐसे ग्राम रोजगार सहायक जिनकी रिट याचिकाएं अभी भी माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित हैं एवं उनमें स्थगन आदेश प्रभावी है एवं यदि ऐसे ग्राम रोजगार सहायक इस वर्ष नये अनुबंध प्रारूप अनुलग्नक-क अनुसार पूर्व अनुबंध का नवीनीकरण करवा लेते हैं तो उन्हें 3500/-रूपये मासिक संविदा अनुबंध राशि के रूप में दी जावे। यदि उनका गत वर्ष का कार्य संतोषजनक है तो उन्हें 10 प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी 3500/- रूपये मासिक संविदा अनुबंध राशि मानते हुए दे दी जावे अर्थात् दिनांक 1.3.2011 से उनकी मासिक संविदा अनुबंध राशि 3850/- रूपये होगी। यदि लम्बित न्यायालय प्रकरणों से संबंधित ऐसे ग्राम रोजगार सहायक दिनांक 1.3.2011 से 28.2.2012 की अवधि के लिए संलग्न अनुबंध अनुलग्नक-क में पूर्व का अनुबंध नवीनीकृत नहीं करते हैं तो उनको न्यायालय स्थगन की दिनांक को प्रभावी अनुबंध की शर्तों के अनुसार मासिक संविदा अनुबंध राशि ही दी जावे अर्थात् उनकी मासिक अनुबंध राशि रूपये 2500/- ही रहेंगी तथा उनका कार्य संतोषजनक पाये जाने पर 10 प्रतिशत वार्षिक संविदा अनुबंध राशि की बढ़ोतरी भी उक्त 2500/- रूपये मासिक अनुबंध राशि पर ही दी जावेगी।

- (iii) दिनांक 28.12.2010 से संविदारत कनिष्ठ तकनीकी सहायकों की मासिक संविदा अनुबंध राशि रूपये 10000 के स्थान पर 13000 रूपये प्रतिमाह की गई है एवं उनके यात्रा एवं ग्रामीण भत्तों को इस राशि में सम्मिलित कर दिया गया है। अतः यदि किसी कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा भी माननीय उच्च न्यायालय में संविदा अनुबंध प्रारूप दिनांक 19.02.2010 के संबंध में रिट याचिका दायर की गई है तथा उस पर माननीय न्यायालय का स्थगन प्रभावी है तो ऐसे कनिष्ठ तकनीकी सहायक यदि इस पत्र के साथ संलग्न नवीन अनुबंध प्रारूप परिशिष्ट अनुलग्नक-क पर हस्ताक्षर कर नवीनीकृत करते हैं तो उन्हें बढ़ी हुई मासिक संविदा अनुबंध राशि रूपये 13,000/- दे दी जावे। यदि वे इस संविदा अनुबंध प्रारूप परिशिष्ट अनुलग्नक-क पर हस्ताक्षर कर पूर्व में निष्पादित संविदा अनुबंध को नवीनीकृत नहीं करते हैं तो न्यायालय के स्थगन के समय प्रभावी अनुबंध की शर्तों के अनुसार ही मासिक संविदा अनुबंध राशि देय होगी तथा उनका कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो उनको संविदा अनुबंध राशि में वार्षिक बढ़ोतरी भी स्थगन के समय प्रभावी संविदा अनुबंध राशि अर्थात् रूपये 5,000/- पर ही देय होगी।

- (iii) नरेगा योजना के कार्मिकों के नियोजन के संबंध में दिशा निर्देशों की जानकारी के अभाव में अनेक संविदा कार्मिकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर कर दी जाती हैं, अतः समस्त निर्देशों की प्रति प्रत्येक पंचायत समिति के विकास अधिकारी को उपलब्ध करवायी जावे जो इसकी जानकारी प्रत्येक संविदा कार्मिक को उपलब्ध करवायें एवं न्यायिक प्रकरणों में स्वयं प्रभारी अधिकारी भी इस परिपत्र का उपयोग करें।

5

5. यह संविदा अनुबन्ध प्रारूप प्लेसमेंट ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन पर लागू नहीं होगा एवं प्लेसमेंट ऐजेन्सी के साथ किये जाने वाला अनुबन्ध का प्रारूप विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 24.04.2010 अनुसार ही होगा।
6. यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 7.3.2011 तक उक्तानुसार समस्त कार्रवाई संपादित की जावे एवं न्यायालय प्रकरणों में स्थगन के अलावा जो संविदा कार्मिक उक्तानुसार संविदा अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो उनके संविदा पदों को रिक्त मानते हुए इन पदों को उसी वर्ग हेतु आरक्षित मानते हुए नये सिरे से उक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए संविदा पर भरने की कार्रवाई की जावे।

- संलग्न :- 1 29 रिट पिटीशन की सूची
2. संविदा अनुबन्ध प्रारूप परिशिष्ट अनुलग्नक- 'क' व 'ख'
3. विभाग के आदेश दिनांक 18.05.2010 की प्रति।


भवदीय,



(सी.एस.राजन)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस प्रथम एवं द्वितीय), जिला परिषद समस्त राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस